बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

– : संकल्प :–

विषय :– **बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली में कमरों के आरक्षण दर में संशोधन के सम्बंध में।**

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–343 दिनांक–31.03.1997 के द्वारा बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली के कमरों के आरक्षण का दर निर्धारित किया गया था। वर्ष 1997 के उपरांत आरक्षण दर में संशोधन/पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जबकि बिहार भवन/बिहार निवास के प्रबंधन तथा रख–रखाव पर हो रहे व्यय में काफी वृद्धि हुई है। राज्य के वित्तीय हित में बिहार भवन/बिहार निवास के कमरों के आरक्षण दर में वृद्धि की आवश्यकता लम्बी समय से महसूस की जा रही है।

इस विषय पर सावधानीपूर्वक सम्यक् विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक–343 दिनांक–31.03.1997 की कंडिका–6 में निहित दर को संशोधित करते हुये राज्य सरकार द्वारा बिहार भवन/बिहार निवास के कमरों के आरक्षण दर निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

क्रम सं०	श्रेणी	दर (प्रति दिन प्रति वातानुकूलित कमरा)
(क)	सरकारी कार्य हेतु राज्य सरकार के सरकारी व्यक्तियों के लिये	250.00 रूपये मात्र दो सौ पचास रूपये मात्र (ए०सी० चार्ज सहित)
(ख)	गैर सरकारी कार्य हेतु राज्य सरकार के सरकारी व्यक्तियों के लिये	500.00 रूपये मात्र पाँच सौ रूपये मात्र (ए०सी० चार्ज सहित)
(ग)	अनाधिकृत श्रेणी के व्यक्तियों के लिये (कमरा उपलब्ध रहने की स्थिति में)	1000.00 रूपये मात्र एक हजार रूपये मात्र (ए०सी० चार्ज सहित)

आरक्षण अवधि की समाप्ति के बावजूद कमरा नहीं छोड़े जाने पर उपरोक्त निर्धारित दर का दूगुना आरक्षण शुल्क वसूल किया जायगा। संकल्प ज्ञापांक–343 दिनांक–31.03.1997 के कंडिका 01 एवं 02 में विहित आरक्षण पात्रता वाले व्यक्तियों के अलावे अन्य व्यक्ति पूर्ववत् अनाधिकृत श्रेणी के व्यक्ति माने जायेंगे। उपरोक्त दर तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस संकल्प की प्रति बिहार गजट/ई–गजट में प्रकाशित तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 1/12

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–ए०/बी०–05–1013/1996(खंड) 950 पटना–15, दिनांक– 01 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव। 1/12

D:SANKALP.doc